

खेती दुनिया

KHETI DUNIYAN, PATIALA

भारत का एक सुप्रसिद्ध हिन्दी
कृषि समाचार-पत्र (न्यूज़ पेपर)

www.khetiduniyan.in

BOOK POST - PRINTED MATTER



KHETI DUNIYAN

• Issue Dated 17-02-2024 • Vol. 8 No. 07 • H.O. : KD Complex, Gaushala Road, Patiala-147001 (Pb.) Ph. : 0175-2214575 • Page : 08 E-mail : khetiduniyan1983@gmail.com

चना में बुकनी रोग, आलू में पिछेती झुलसा का बढ़ा खतरा, विशेष सावधानी बरतें किसान

बारिश के बाद मौसम का मिजाज फिर से सर्द हो उठा है। भले ही दिन में धूप हो रही हो लेकिन पहाड़ी पहुंचा हवा के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा

है। इस रोग से बचाव के लिए घुलशील गंधक 80 प्रतिशत दो किलो अथवा ट्राइडेमेफान 25 प्रतिशत डब्लू.पी. दवा 250 ग्राम 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हैक्टेयर



रही है। न्यूनतम तापमान आठ से 10 डिग्री सैलियस के आसपास दर्ज हो रहा है तो आर्द्रता 80 से 100 प्रतिशत तक दर्ज हो रही है। ऐसे मौसम में दलहन फसल चना-मटर में बुकनी रोग तो पिछेती आलू में पिछेती झुलसा रोग का खतरा बढ़ गया है। किसानों को फसल के देख-रेख में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।

लापरवाही पर फसल रोग के जद में आई तो उत्पादन प्रभावित होने से किसानों की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा।

चना-मटर में बुकनी रोग के लक्षण व बचाव

दलहन फसल चना व मटर में लगने वाले इस रोग में पौधों की पत्तियाँ, तांतों एवं फलियाँ पर सफेद चूर्ण सा दिखाई पड़ने लगता है, जिससे पत्तियाँ सूख कर गिर जाती हैं। पौधे कमज़ोर हो जाते हैं।

सैंटीग्रेड के मध्य एवं आर्द्रता 80

प्रतिशत से अधिक होती है तो इस फलस्वरूप उत्पादन प्रभावित हो जाता

रोग के प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। मौजूदा समय में तापमान इसी के आस पास चल रहा है। यह रोग फरवरी के अंत तक दिखाई देता है। प्रकोप की दशा में पत्तियों के अग्रभाग पर अनियमित आकार के काले एवं भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। अत्यधिक प्रकोप की स्थिति में पूरी की पूरी फसल झुलस जाती है। बचाव के लिए किसानों को इस लोग का लक्षण दिखाई देने पर तत्काल सिंचाई बंद कर देनी चाहिए।

रसायनिक नियंत्रण में कॉपर आक्सीक्लोराइड 50 प्रतिशत डब्लू.पी. ट्राई किलो अथवा मैकोजेब 75 प्रतिशत डब्लू.पी. अथवा जिनेब 75 प्रतिशत डब्लू.पी. डेढ़ से दो किलो दवा या फिर हेक्साकोनाजोल दो प्रतिशत एससी दवा तीन लीटर प्रति हैक्टेयर की दर से 600 लीटर पानी

की दर से छिड़काव करना चाहिए।

पिछेती आलू में झुलसा रोग, लक्षण व बचाव

जब तापमान 10 से 20



में घोल तैयार कर छिड़काव करना लाभकारी होगा।

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना द्वारा
मार्च 2024 में लगाए जा रहे

किसान मेले

पी.ए.यू. कैपस, लुधियाना में
दो दिवसीय किसान मेला 14 व 15 मार्च
खेती दुनिया द्वारा इन मेलों पर स्टाल लगाए जाएंगे
और नई मैंबरशिप हेतु बुकिंग की जाएगी।

तीन दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान किसान मेला, दिल्ली में 28 फरवरी से 1 मार्च तक

नाग कलां जहांगीर
(अमृतसर)
5 मार्च

बल्लोवाल सौख्य
(शहीद भगत सिंह नगर)
7 मार्च

बठिण्डा
12 मार्च

फरीदकोट
18 मार्च

गुरदासपुर
20 मार्च

रौणी
(पटियाला)
22 मार्च

मिट्टी की जांच की आवश्यकता : आधुनिक कृषि प्रणाली किसान भाई एक से ज्यादा फसलें उगाते हैं, जिससे मृदा से लगातार पोषक तत्व पौधों द्वारा लिए जाते हैं।

पौधों को अपना जीवन-चक्र पूरा करने के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 14 पोषक तत्व पौधे मृदा से लेते हैं। सघन कृषि प्रणाली में मृदा से पोषक तत्वों का अत्याधिक दोहन हुआ है।

किसान उर्वरकों के रूप में सिर्फ नत्रजन व फास्फोरस ही मिट्टी को प्रदान करते हैं, जिसके कारण मिट्टी में अन्य पोषक तत्वों की कमी हो गई है, इसका मिट्टी की उत्पादकता पर विपरीत असर हुआ है।

मिट्टी की जांच से हमें मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा की सही जानकारी मिलती है। इससे पता चलता है कि किन-किन पोषक तत्वों की हमारी मिट्टी में कमी है और किस मात्रा में उर्वरक डाल कर पोषक तत्वों की पूर्ति की जा सकती है।

फसलों की भरपूर उपज लेने के लिए मिट्टी की जांच विशेष रूप से लाभदायक है। मिट्टी की जांच के अनुसार उर्वरकों के प्रयोग से किसान भाई आर्थिक लाभ लेने के साथ-साथ अपनी मृदा की गुणवत्ता



मिट्टी के स्वास्थ्य, उर्वरा शक्ति व फसल उत्पादन के लिए मिट्टी की जांच जरूर करवाएं किसान

अलग-अलग खेतों की मिट्टी में भिन्नता के साथ एक खेत की मिट्टी भी भिन्न हो सकती है। अतः जांच के लिए एक एकड़ खेत से मिट्टी का नमूना इस प्रकार से लेना चाहिए कि वह पूरे खेत का प्रतिनिधित्व करता है।

डॉ. धीरज पंधाल, डॉ. आर.डी. पंवार, डॉ. सरोज देवी, डॉ. प्रीति मालिक, सुरेन्द्र मित्तल व रवि, चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र, जींद

नमूने की जांच के आधार पर की गई उर्वरक खाद की सिफारिश सही नहीं होगी। इसलिए खेत की मिट्टी का नमूना सही तरीके व सावधानी के साथ लेना चाहिए।

मिट्टी की जांच के लाभ : मिट्टी में विभिन्न पोषक तत्वों की कमी के बारे में जानकारी और जांच के आधार पर खाद व उर्वरकों की सही मात्रा की सिफारिश करना, जिससे उर्वरकों की सही मात्रा का प्रयोग होगा व किसानों का उर्वरकों पर होने वाला खर्च कम होगा। इसके साथ-साथ मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा।

मृदा में अम्लता, लवणीयता तथा क्षारीयता जैसी समस्याओं के स्तर को जानना तथा ऐसी मिट्टियों के सुधार के लिए उचित तरीकों की सिफारिश किसानों तक पहुंचाना।

मिट्टी की उर्वरा शक्ति तथा उसके गुणों के अनुसार उचित फसल

के चयन के बारे में जानकारी किसानों तक उपलब्ध करवाना।

बाग लगाने के लिए सिफारिश : जांच से मिट्टी की बाग के लिए उपयुक्तता का पता चलता है।

इसके अलावा मिट्टी की जांच से हमें पता चलता है कि कौन-सा बाग सफलतापूर्वक हमारे खेत में लगाया जा सकता है।

मिट्टी की जांच का सही समय : फसल की कटाई के बाद-बाद खाली खेत से बुवाई से पहले मिट्टी का नमूना लेने का उचित समय है।

साल में 1 बार बुवाई से पहले मिट्टी की जांच करवा लेनी चाहिए। 2 या 3 साल में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं।

खाली जमीन पर खेती शुरू करने से पहले मिट्टी जांच की जरूरत है। यदि खेत से मिट्टी उठवाई गई है, तो भी किसानों को मिट्टी की जांच अवश्य करनानी चाहिए।

मिट्टी का नमूना लेने हेतु महत्वपूर्ण सावधानियां :

* मिट्टी का नमूना हमेशा बुवाई से पहले लें।

* बाग लगाने से पहले ही मिट्टी की जांच करवा लेनी चाहिए, ताकि सही बाग लगाया जा सके।

* मिट्टी की ऊपर की परत न हटाएं, बल्कि सिर्फ मिट्टी के ऊपर से घास-फूस या फसल अवश्य हटा दें।

* खेत की मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कंकर अलग न करें।

* खाद या उर्वरकों के प्रयोग के बाद नमूना ना लें।

* पेड़ों के नीचे, सिंचाई की नालियों के पास, दलदली जगह और देसी खाद के ढेर के नीचे से नमूना ना लें।

* उर्वरक, खाद, नमक या किसी अन्य रसायन की बोरी के ऊपर नमूना ना सुखायें।

* मिट्टी का नमूना खाद के बोरे या थैले में ना रखें। नमूना लेने के लिए नई व साफ थैली का प्रयोग करें।

* किसान भाई कस्सी या खुरपे की मदद से मिट्टी का नमूना ले सकते हैं।

मिट्टी का नमूना लेने का तरीका : अनाज, दलहन, तिलहन व सब्जियों के लिए भूमि की सतह से 15 सेटीमीटर तक का नमूना लें। सतह की घास-फूस साफ कर लें। कस्सी या खुरपे द्वारा 'बी' (V) आकार का 15 सेटीमीटर का गड्ढा बना लें।

अब एक तरफ से ऊपर से नीचे तक 2 सेटीमीटर एकसार टिक्की ले लें। इस प्रकार से 6-7 जगह से मिट्टी लें। इस निकली हुई मिट्टी को सही तरीके से मिला लें। 500 ग्राम मिट्टी का नमूना जांच के लिए पर्याप्त रहता है। यदि आपके खेतों की मिट्टी भिन्न है, तो प्रत्येक एकड़ से अलग नमूना लें।

नमूने के लिए ली हुई मिट्टी को साफ करपड़े की थैली में रखें। यदि मिट्टी गीली हो तो छाया में सुखा कर थैली में रखें। उस थैली पर अपना नाम व पूरा पता लिख कर जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजें।



को भी बढ़ा सकते हैं।

मिट्टी की जांच के लिए खेत से मिट्टी के सही नमूने लेना अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

मक्की की फसल के लिए मौसम अनुकूल, खेत और किसान तैयार

मक्की की फसल के लिए सर्दी का यह मौसम अनुकूल है। यही कारण है कि खेत और किसान भी फसल बीजने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं मक्की के बीज से विक्रेताओं की दुकानें भी सज गई हैं। पिछले दिनों हुई बारिश के कारण खेतों में अच्छी-खासी नमी है। खेतीबाड़ी विभाग के मुताबिक इस सीज़न के दौरान ज़िले के किसान मक्की का रकबा बढ़ाने जा रहे हैं। पिछले साल सर्दी के मौसम वाली मक्की की फसलका रकबा 15 हज़ार हैक्टेयर था, जोकि इस साल बढ़ कर 20 हज़ार हैक्टेयर तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं, यदि बात दोआबा, माझा और मालवा की करें तो पिछले साल मक्की की फसल 75 हज़ार हैक्टेयर रकबे में बीजी गई थी, जो इस साल बढ़ कर 90 हज़ार हैक्टेयर में पहुंचने का अनुमान है।

किसान बुवाई शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए खेत तैयार हैं। फरवरी और मार्च महीने में बीजी जाने वाली इस मक्की की फसल से किसानों को अच्छा ज्ञाड़ मिलता है। पिछले साल की बात करें तो प्रति एकड़ 35-40 किंवंतल ज्ञाड़ निकला था। सरकार भले ही मक्की की फसल को एम.एस.पी. के तहत नहीं खरीदती, लेकिन



खेतीबाड़ी विभाग की सलाह

खेतीबाड़ी अधिकारी सतवंत सिंह ने किसानों को सलाह दी है कि जिस खेत में पहले आलू की फसल रही है, उससे डी.ए.पी. खाद की प्रति एकड़ एक बोरी (50

किलो) ही डाली जाए। जिस खेत में पहले गन्ने की फसल थी। उसमें किसान दो बोरे एक एकड़ में डाल सकते हैं। उन्होंने कहा

बढ़ा है, लेकिन मैदानी इलाके में जंगली सूअर की संख्या भी तेज़ी से बढ़ी है। जो मक्की की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। फसल को जंगली सूअर से बचाने के लिए किसानों को अपने खेतों के ईर्द-गिर्द बाढ़ करनी पड़ती है, जिससे किसानों का खर्च बढ़ता है। किसान लगातार मांग करते आ रहे हैं कि सरकार खेतों की बाढ़ करने के लिए तार पर सब्सिडी दे।

एम.एस.पी. रेट 2090 रुपए, लेकिन मिलता नहीं

केन्द्र की तरफ से मक्की की फसल का एम.एस.पी. रेट साल 2023-24 के लिए 2090 रुपए प्रति किंवंतल है। लेकिन कभी भी सरकार की तरफ से एम.एस.पी. के तहत खरीद नहीं की। फसल मंडी में आने पर आढ़ती निजी तौर पर खरीद करते हैं। जब किसान नमी से भरी फसल मंडी लाते हैं, तो 1 हज़ार से 1200 रुपए तक प्रति किंवंतल रहा है। वहीं जो किसान फसल को सुखा कर लाते हैं, उन्हें 1500 रुपए प्रति किंवंतल भी मिलते रहे हैं। सरकार एम.एस.पी. के तहत इस फसल की खरीद शुरू कर दे, तो किसानों का रुक्षान और बढ़ेगा।

जौं की प्रमुख बीमारियां एवं रोकथाम



जौं एक खाद्यान्न तथा औद्योगिक फसल है। जौं भारत की एक महत्वपूर्ण रबी फसल है। हरियाणा में इसे मुख्य रूप से कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। जौं की फसल ज्यादातर खुश क्षेत्रों में उगाई जाती है। जौं की फसल के लिए 500 मिलीलीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। जौं की फसल हल्की दोमट मृदा में उगाई जाती है। जौं खाद्यान्न में बीटा ग्लूकोन की मात्रा अधिक होती है और मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करता है। आज जौं का सबसे ज्यादा उपयोग पर्ल बारले, माल्ट बियर, हार्लिंक्स माल्टोवा टॉनिक्स दूध मिश्रित बेवरेज आदि बनाने में किया जा रहा है। जौं की फसल में लगने वाली प्रमुख बीमारियां उपज पर गहरा प्रभाव डालती हैं। जौं की फसल में लगने वाली बीमारियों को सही समय पर पहचान कर उपचार करने से इसकी पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। जौं की प्रमुख बीमारियां एवं रोकथाम निम्नलिखित हैं।

जौं की प्रमुख बीमारियां

1. खुली कंगियारी : जौं की खुली कंगियारी ऊस्टिलेगो हॉर्डेई फफूद के कारण होती है।



लक्षण :

* इस बीमारी के शुरूआत में जौं की बाली के कुछ बीज संक्रमित होते हैं और स्लेटी रंग की पारदर्शी झिल्ली से ढका हुआ होता है।

* बाद में गंभीर अवस्था में जौं की बालियां काले पाउडर के रूप में बदल जाती हैं।

* रोग ग्रसित पौधों में बालियां निकलने से पहले सबसे ऊपरी हिस्सा (फ्लैग लीफ) पीला हो जाता है।

* यह रोग प्रदेश के सभी क्षेत्रों तथा लगभग सभी हिस्सों में पाया जाता है।

रोकथाम :

* संक्रमित पौधों को खेत से हटा दें और बाद में गड्ढा खोद कर दबा दें।

* बीज का उपचार विटावैक्स या बाविस्टिन नामक दवाई से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की हिसाब से उपचारित करें।

2. पीला या धारीदार रतुआ : जौं का पीला रतुआ पक्सीनिया स्ट्राइफर्मिस नामक

फफूद के कारण होता है।

लक्षण :

* मुख्य रूप से पत्तियों, पत्ती आवरण और तना संक्रमित होता है।

* पत्तों पर पीले रंग की छोटे-छोटे कतारों में बन जाते हैं।

* कभी-कभी यह धब्बे पत्तियों के डंठलों पर भी बन जाते हैं।

* समय के साथ-साथ यह रोग ग्रसित पत्तियां सूख जाती हैं।

रोकथाम :

* जौं की रोगरोधी किस्मों की बुवाई करें।

* बीमारी के लक्षण आने पर प्रति एकड़ 800 ग्राम जिनेब या मैकोजेब नामक दवाई को 250 लीटर पानी में मिला कर



छिड़काव करें। बाद में 10 से 15 दिन के अन्तराल पर 2 या 3 छिड़काव कर सकते हैं।

3. काला रतुआ : जौं का काला रतुआ पक्सीनिया ग्रैमिनिस्ट्रिट्सी नामक फफूद के कारण होती है।

लक्षण :

* इस बीमारी के संक्रमण के 7 से 15 दिनों बाद रोग के लक्षण पौधों के सभी हिस्सों में दिखाई पड़ते हैं।

* तना व पत्तियों के डंठलों पर ज्यादा दिखाई देते हैं।

* काला रतुआ में लाल या भूरे से काले रंग के धब्बे बनते हैं।

* काला रतुआ में लाल या भूरे से

रविंद्र गोदारा, डॉ. मनजीत सिंह, डॉ. विनोद कुमार मलिक एवं पवित्रा कुमारी, पौधे रोग विज्ञान विभाग, चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार—125004

रोकथाम :

* रोगरोधी किस्में लगाएं।

* बीमारी के लक्षण नज़र आने पर प्रति एकड़ 800 ग्राम जिनेब या मैकोजेब नामक दवाई को 250 लीटर पानी में मिला कर



छिड़काव करें। बाद में 10 से 15 दिन के अन्तराल पर 2 या 3 छिड़काव कर सकते हैं।

4. भूरा रतुआ :

* जौं का भूरा रतुआ पक्सीनिया हॉर्डेई नामक फफूद के कारण होता है।

लक्षण :

* पहले लक्षण पत्तियों पर और



कभी-कभी तने, पत्ती के आवरण और बालियों पर बिखरे हुए नारंगी-भूरे रंग के दाने होते हैं।

* दान अक्सर जौं पर पीले रंग का आभामंडल विकसित कर देते हैं।

* पत्ती के नीचे की ओर छोटे काले दाने भी विकसित होते हैं और संक्रामक बीजाणुओं को जन्म देते हैं।

रोकथाम :

* रोगरोधी किस्में बोएं।

* बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर प्रति एकड़ 800 ग्राम मैकोजेब नामक दवाई को 250 लीटर पानी में मिला कर छिड़काव करें। बाद में 10 से 15 दिन के बाद करें।

* खेत के अंदर सफाई करें।

5. धारियों वाला रोग :

* जौं का काला रतुआ रतुआ ग्रैमिनिस्ट्रिट्सी नामक फफूद के कारण होती है।



* काला रतुआ में लाल या भूरे से

लक्षण : * पत्तों पर लम्बी गहरी भूरी लाइनें पड़ जाती हैं या जालीनुमा विकार दिखाई देता है।

रोकथाम : * रोगरोधी किस्म बोएं।

* बीमारी के लक्षण नज़र आने पर 600 ग्राम मैकोजेब नामक दवाई को 200 लीटर पानी में मिला कर प्रति एकड़ छिड़काव करें और दूसरा छिड़काव 10 से 15 दिन के बाद करें।

6. मोल्या रोग : जौं का मोल्या रोग हेटेरोडेरा एवेने प्रजाति निमेटोड के कारण होता है।

लक्षण : * रोग ग्रसित पौधे पीले व बौने रह जाते हैं। इनमें फुटाव बहुत कम होता है।

* बालियां छोटी और जड़े छोटीव झाड़ीनुमा हो जाती हैं, जिसका सीधा असर फसल की पैदावार पर पड़ता है।

* जनवरी-फरवरी में छोटे-छोटे गोलाकार सफेद चमकते हुए मादा सूत्रकृमि जड़ों पर साफ दिखाई देते हैं, जो रोग की खास पहचान है।

रोकथाम :

* एक या दो साल के लिए सरसों, तोरिया, चना, गाजर, धनिया, मेथी आदि का फसल-चक्र अपनाएं।

* जौं की अवरोधी किस्में बी.एच.-75, बी.एच.-393 बीजें।

* मई और जून के महीनों में खेत की



10-15 दिन के अन्तराल पर 2-3 गहरी जुताईयां करें। कड़ी धूप व शुष्क मौसम के कारण सूत्रकृमि की संख्या काफी हद तक कम हो जाती है।



* रोग ग्रसित खेतों में जौं की अगेती बुवाई करें।

* सूत्रकृमि की संख्या अधिक व एक समान हो तो कार्बोफ्यूरॉन (फ्यूराडॉन 3जी दानेदार) 13 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बुवाई के समय देने वाली खाद में मिला कर पाएं व बुवाई करें।

खेती दुनिया

KHETI DUNIYAN

मुख्य कार्यालय

के.डी. कॉम्प्लैक्स, गऊशाला रोड, नजदीक शेरे पंजाब मार्केट, पटियाला - 147001 (पंजाब)

फोन : 0175-2214575

मो. 90410-14575

E-mail : khetiduniyan1983@gmail.com

वर्ष : 08 अंक : 07

तिथि : 17-02-2024

सम्पादक

जगप्रीत सिंह

मुख्य शाखाएं

पटियाला

फोन : 0175-2214575
मो. 90410-14575

मुम्बई

दिल्ली

लुधियाना

बठिंडा

सम्पादकीय बोर्ड

डॉ. डी.डी. नारंग

डॉ. जे.एस. डाल

डॉ. आर.एम. फुलझोले

कम्पोजिंग

एकता कम्प्यूटरज़े पटियाला

श्रीअन्न के फायदे एवं इसकी खेती के प्रति अपने क्षेत्रों में कर्रे जागरूक - डॉ. आशुतोष श्रीवास्तव

श्री अन्न प्रसंस्करण एवं मूल्य संबंधित खाद्य उत्पादों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के कुलपति डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा की प्रेरणा से खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के अंतर्गत, श्रीअन्न प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धित खाद्य उत्पादों का कृषि विभाग के अधिकारियों, युवा उद्यमी एवं स्व-सहायता समूह के मास्टर

साथ आजीविका चला सकें। आपने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कृषि विभाग के अधिकारियों, युवा उद्यमी एवं स्व-सहायता समूह के सदस्यों से कहा कि जो भी यहां सीख कर जायें दूसरों को भी जागरूक करें एवं श्रीअन्न के उपयोग, महत्व को समझायें और परिवार, समाज, देशहित में सहभागी बनें, क्योंकि श्रीअन्न के सेवन से

शुक्ला ने स्वागत उद्बोधन एवं तीन दिवसीय प्रशिक्षण के महत्व एवं इसके उद्देश्य के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। इस दौरान आपने बताया कि किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त मिलेट्स प्रोसेसिंग एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, केन्द्र की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत,



ट्रेनर का तीन दिवसीय प्रशिक्षण, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय जबलपुर डॉ. आशुतोष श्रीवास्तव के मुख्याआतिथ्य में आयोजित हुआ। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि डॉ. आशुतोष श्रीवास्तव ने अपने उद्बोधन में कहा कि श्रीअन्न की खेती के लिये आप सभी प्रतिभागी इस ट्रेनिंग के माध्यम से अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर श्रीअन्न के प्रोडक्शन, वैल्यू एंडिशन और इसकी खेती के लिये किसानों को जागरूक करें, जिससे कृषक इसकी उपयोगिता को समझें और श्रीअन्न की खेती कर अधिक मुनाफा प्राप्त कर समृद्धि के

शरीर स्वस्थ्य और ऊर्जावान होता है, क्योंकि इसकी कमी देशवासियों को कोरोना काल के समय महसूस की जा चुकी है। डॉ. श्रीवास्तव ने सभी प्रशिक्षण प्राप्त करने आये प्रतिभागियों से कहा कि श्रीअन्न के उत्पादन में परम्परागत किसान खेती करते हैं, उनकी वैज्ञानिक खेती में तुलना करके मैदानी कृषि कार्यकर्ता इसका अवलोकन करें। इसके बाद किसानों को उन्नत किस्मों की बुआई के लिये प्रोत्साहित भी करें। खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. एस.एस.

मास्टर ट्रेनरों के लिये श्रीअन्न प्रसंस्करण एवं मूल्य संबंधित खाद्य उत्पादों का सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।

कार्यक्रम का संचालन प्रशिक्षण समन्वयक डॉ. अर्चना पांडे एवं आभार प्रदर्शन डॉ. प्रवीण पटले द्वारा किया गया।

इस अवसर पर खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. एस.एस. शुक्ला, डॉ. प्रतिभा सिंह परिहार, प्राध्यापक, डॉ. अर्चना पांडे, डॉ. अल्पना सिंह, डॉ. हेमंत रहांगड़ाले, डॉ. प्रवीण पटले सहित अन्य का सराहनीय योगदान रहा।

देश में मुर्गा और नीली रावी नस्ल की भैंसों को दूध प्रतियोगिता में मिला पहला स्थान

17वें पी.डी.एफ. डेयरी एक्सपो-2024 में समाना के पंजाब सिंह और माझा गुप की भैंसों ने दूध प्रतियोगिता में देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। मुर्गा भैंस ने 26 किलो 726 ग्राम दूध देकर देशभर की भैंसों को पछाड़ कर पहला स्थान हासिल किया, जबकि नीली रावी की भैंस ने 20 किलो 213 ग्राम दूध देकर रिकॉर्ड कायाम कर पहले स्थान पर रही। इतिहास में यह पहली बार है कि दो अलग-अलग श्रेणियों में एक ही समूह की भैंसों ने पहला स्थान हासिल किया है। यह दावा पंजाब सिंह ने किया है। इतना ही नहीं उन्होंने इससे संबंधित प्रमाण-पत्र और प्रतियोगिता में जीते मोर्टारसाइकिल को भी दिखाया। पंजाब सिंह ने प्रदेश के युवाओं से आहवान किया है कि वह विदेश जाने की बजाय तकनीकी रूप से अपने पिता के व्यवसाय को अपनाएं। उन्होंने चंडीगढ़ से स्नातक की पढ़ाई पूरी कर आई.ए.एस. की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पिता का पेशा अपनाया और इस क्षेत्र में दूध उत्पादक बन गए। उनके बुजुर्ग पाकिस्तान से अपने साथ कछ जानवर लेकर आए थे। उन्हें पशु पालने का शौक था, जिसे धीरे-धीरे बिजनेस के तौर पर आगे बढ़ाया।

डेयरी विकास विभाग पंजाब ने 'राष्ट्रीय पशुधन मिशन' के तहत किसानों को किया जागरूक

डेयरी विकास विभाग द्वारा 'राष्ट्रीय पशुधन मिशन' के तहत उप निदेशक डेयरी विकास मोगा निरवर सिंह बराड़ के मार्गदर्शन में ब्लॉक स्तरीय दूध उत्पादक जागरूकता सेमिनार का आयोजन गांव चडिक ज़िला मोगा में किया गया। सेमिनार में 250 दुग्ध उत्पादकों एवं किसानों ने भाग लिया। इस दौरान पूर्व डेयरी विकास अधिकारी बौर प्रताप सिंह ने पशु-पालकों को बताया कि डेयरी पशु खरीदने, पशु शेड बनाने, टोटल मिक्स राशन मशीन स्थापित करने, वाणिज्यिक डेयरी इकाइयां, दूध देने वाली मशीन आदि के लिए

सरकारी सब्सिडी/वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है। सेमिनार में डेयरी विकास निरीक्षक अवनीत सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत हरे चारे/साइलेज एवं पशु आहार फैक्ट्री की पूरी इकाई स्थापित करने के लिए कोई भी एक किसान या समूह एक करोड़ रुपए तक प्राप्त कर सकता है। 50 लाख और सब्सिडी के रूप में अधिकतम वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। डेयरी से संबंधित विभिन्न कम्पनियों जैसे पर्थ वेटफार्म्स, पायनियर, माइक्रो, केयर्स ने डेयरी व्यवसाय में नई तकनीकों को पेश करने के लिए अपने विशेषज्ञों द्वारा विशेष रूप से प्रदर्शनियों और व्याख्यानों का आयोजन किया। अवनीत सिंह डेयरी विकास निरीक्षक ने

'कागजी नीबू' असम का राजकीय फल घोषित

असम सरकार ने यहां पैदा होने वाली नीबू की खास किस्म 'काजी नेमू' को राजकीय फल घोषित



किया है। यह नीबू अनोखी सुगंध और एंटीऑक्सीडेंट गुण के लिए जाना जाता है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरसा ने कहा कि अब यह फल विश्व मानचित्र पर चमकने, आत्म-निर्भरता और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तैयार है।

लक्ष्मीप में मिलता है 'नारियल गुड़', कीमत 100 रुपए किलो

यदि आप खूबसूरत पर्यटन स्थल लक्ष्मीप जाने की योजना बना रहे हैं, तो यहां के खास व्यंजन नारियल गुड़ को चखना मत भूलिएगा, जो बेहद लजीज और स्वास्थ्यवर्धक है। विशेष तरीके से पकाए जाने और अत्यधिक मांग के कारण नारियल गुड़ का स्वाद चखना जेब पर हालांकि थोड़ा भारी पड़ता है। तिनाकारा द्वीपपर एक छोटा सा रेस्तरां संचालित करने वाले सेफुल्ला ने कहा कि, "30 लीटर नारियल के रस को पका कर गाढ़ा करने से हमें केवल 2.5 किलोग्राम गुड़ मिल सकता है, इसलिए यह बहुत महंगा है। इसकी कीमत 1000 रुपए प्रति किलो है।" नारियल गुड़ की मांग इतनी अधिक है कि अगर किसी को यह विशेष गुड़ लेना है, तो उसे पहले से इसके लिए ऑर्डर बुक करवाना होता है।

द्वीपवासियों का मानना है कि इस गुड़ को मधुमेह के मरीज भी खा सकते हैं और वे मिठाइयां या चाय बनाते समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह गुड़ लंबे समय तक खराब नहीं होता।

किसानों को स्वच्छ दूध उत्पादन के महत्व को समझने तथा दूध से दुग्ध उत्पाद बना कर बेचने तथा डेयरी व्यवसाय में सहकारी समितियों के योगदान के बारे में जानकारी दी। जगपाल सिंह बराड़ सेवानिवृत्त कॉर्पोरेट इंस्पेक्टर ने डेयरी व्यवसाय में सहकारी समितियों के योगदान के बारे में जानकारी दी। डेयरी व्यवसाय में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया गया। डेयरी से संबंधित विभिन्न कम्पनियों जैसे पर्थ वेटफार्म्स, पायनियर, माइक्रो, केयर्स ने डेयरी व्यवसाय में नई तकनीकों को पेश करने के लिए अपने विशेषज्ञों द्वारा विशेष रूप से प्रदर्शनियों और व्याख्यानों का आयोजन किया। अवनीत सिंह डेयरी विकास निरीक्षक ने

जलवायु परिवर्तन के संकेतक बने कीट-पतंगों

जनवरी के अंतिम दिन हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखण्ड के ऊपरी इलाकों में सीजन का पहली बर्फबारी हुई। लगभग ढेर महीने देर से, बदलते मौसम के मिजाज के दौर में बर्फबारी रहित सर्दियां हिमालय में भविष्य के बारे में चिंताएं बढ़ती हैं।

जबकि हमने कश्मीर में सुनसान गुलमर्ग घाटी में खाली स्की रिसॉर्ट्स की तस्वीरें देखी हैं और पर्यटकों द्वारा होटल बुकिंग रद्द करने की रिपोर्टें पढ़ी हैं, कृषि उत्पादन और पानी की उपलब्धता पर असर, नदियों में पानी के प्रवाह में कमी और फलों की फसलों पर शुष्क सर्दियों के प्रभाव- इन सभी पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन लद्दाख में एक स्थानीय ग्रामीण की टिप्पणी ने मेरा ध्यान खींचा।

'इस साल सर्दी वैसी लद्दाखी सर्दी जैसी नहीं लग रही है। यह बहुत गर्म है। इस बार हम चरम सर्दियों में घरेलू मक्खियों और तितलियों जैसे कई कीटों को जीवित देख सकते हैं। यह लद्दाख जैसी जगह के लिए बहुत ही असामान्य है', डाउन टू अर्थ पत्रिका के पिछले अंक में एक स्थानीय निवासी कुंचोक दोरजै को उद्धृत किया गया था।

उन्होंने जो कहा उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले, यह मुझे ग्लोबल वार्मिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में बोलने के लिए यूरोप की यात्राओं की याद दिलाता है जब मैं अपने मेजबानों से कहता था कि वह समय बहुत दूर नहीं है जब जलवायु गर्म होने के साथ-साथ, घरेलू कीड़े-मकोड़े जिनसे आप लोग घृणा करते हैं- और जिनमें मच्छर और तिलचट्टे भी शामिल हैं- समशीतोष्ण जलवायु में तेजी से दिखाई देंगे। तो मैं कहता था कि कीटों के हमले के लिए तैयार रहें। वे इसे हल्के-फुल्के अंदाज में खारिज कर देते, लेकिन हकीकत अब सामने आ रही है।

सर्दियां आती हैं, और आम

तौर पर हम मच्छर-मक्खियों को गायब होते देखते हैं। फिर गर्मी का मौसम शुरू होते ही ये कीट वापस आ जाते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि जैसे-जैसे मौसम गर्म होता है, कीट जलवायु परिवर्तन पर प्रतिक्रिया



देविंदर शर्मा

करते हैं, और उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। परिस्थितिकी तंत्र की जटिलताएं और गर्म होता तापमान इस बात की दिलचस्प अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि दुनिया जिस जलवायु आपातकाल का सामना कर रही है, उस पर कीट जगत कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है। क्योंकि दुनिया पहले ही ग्लोबल वार्मिंग से वैश्विक उबलने के युग में पहुंच चुकी है, इसलिए कीट प्रजातियों कठोर जलवायु पर कैसे प्रतिक्रिया देंगी, यह बारीकी से देखा जाना चाहिए।

परंतु यदि मक्खियों और तितलियों जैसे कीट सर्दियों में आसपास दिखाई दिये हैं तो यह केवल असामान्य ही नहीं होगा बल्कि कीटों के इस बदलते व्यवहार को करीब से समझने की जरूरत है। गर्मी से बचने के लिए कीटों की ओर ज्यादा प्रजातियों के उत्तर की ओर रुख करने के साथ ही वह समय दूर नहीं जब कॉकोच और मच्छर भी उत्तर की ओर जाने लगें।

वैसे भी, जबकि इस वर्ष मौसम के असामान्य पैटर्न ने हमारे साथ-साथ नीति निर्माताओं का ध्यान पर्यावरणीय प्रभावों और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था

पर होने वाले असर की ओर आकर्षित किया है, हम यह कल्पना करने में विफल रहते हैं कि तापमान में वैश्विक वृद्धि का कीट प्रजातियों के व्यवहार और वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। हालांकि इस बारे में बहुत कुछ ज्ञात है कि कैसे बर्फ रहित सर्दी सेब के बागानों को सर्वियों के महीनों में जरूरी ठंडे तापमान से वंचित कर देती है, और मिसाल के तौर पर खुबानी सर्दियों में जल्दी क्यों फूलने लगती है।

मानव आबादी के साथ इसके संपर्क के कारण पक्षियों और जनवरों पर भी इसके प्रभाव को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए, इटली में सस्सारी विश्वविद्यालय और फेरारा विश्वविद्यालय के अध्ययनों से पता चला है कि यूरोप में अल्पाइन बकरियां थकावट से बचने के लिए अब रात में बाहर जा रही हैं। यह दिन की गर्मी से बचने के लिए है लेकिन अन्य खतरों को भी आमंत्रित कर सकता है। उदाहरण के लिए, कई पक्षी प्रजातियों भी सिकुड़ने लगी हैं और कुछ अन्य मामलों में कुछ पक्षी प्रजातियों के पंखों का दायरा बढ़ रहा है ताकि शारीर को ठंडा रखने में मदद मिल सके।

कीटों पर वापस आते हैं, कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि सामान्य आवास दुर्गम होने के चलते, तितलियों समेत कई कीट प्रजातियों अपने प्रवास पैटर्न को बदल रही हैं। पर्यावास के विनाश ने उनकी मुसीबतें बढ़ा दी है। साउथेस्टन विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि ब्रिटिश तितलियां बड़ी हो रही हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक अन्य अध्ययन में यह आशंका जारी गई है कि तापमान बढ़ने पर छोटी और हल्के रंग की उष्णकटिबंधीय तितलियां अंततः लुप्त हो सकती हैं।

रिसर्च में यह भी सामने आया कि आम तौर पर पहाड़ों में पायी जाने वाली तितली प्रजातियां ग्लोबल वार्मिंग के मुकाबले के लिए अपने जैसे ही तापमान बढ़ता है उनके

निवास ओर ज्यादा ऊंचाई पर स्थानात्मक करती है। बढ़ती जैव विविधता हानि के साथ, जो उनका प्राकृतिक आवास है, पहाड़ी तितलियां अपना मूल स्थान बदल रही हैं और ऊपर जा रही हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने पाया है कि हिमालय में तितलियां लगभग 300 मीटर ऊपर चली गई हैं। इसलिए बढ़ते तापमान के कारण न केवल सेब के बागान अधिक ऊंचाई पर लगने लगे हैं बल्कि तितलियों सहित कीट प्रजातियों भी ऊंचाई पर लगती हैं।

पंखों की लंबाई घटती चली गयी।

असल में यह निर्भर करता है कि गर्म होते वैश्विक पर्यावरण के प्रति कीट प्रजातियों कैसे प्रतिक्रिया करती हैं। तथ्य यह है कि वैश्विक स्तर पर मौसम के प्रति लचीलापन, अनुकूलन और शमन केवल कृषि तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि कीट जगत को यह कहीं ज्यादा प्रभावित करती है।

दरअसल, हम कीट प्रजातियों द्वारा प्रदर्शित जलवायु लचीलेपन की बात उस तरह नहीं करते, जिस तरह



दूसरी ओर, जैसे कि क्षेत्र और ज्यादा गर्म और शुष्क हो रहा है अमेरिका के पश्चिम में सैकड़ों कीट प्रजातियों लुप्त हो रही हैं। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आयूसीएन) ने मोनाक तितली को संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में रखा है, उक्त खतरा पर्यावासों के विनाश और मौसम में बदलाव से दरणेश है। अध्ययनों में यह भी सामने आया कि प्रतिवर्ष करीब 4000 किलोमीटर प्रवास करने वाली मोनाक तितली के पंखों का आकार बढ़ा होता जा रहा है। अनगिनत अन्य अध्ययन भी दर्शाते हैं कि पर्यावरणीय बदलावों के प्रति संवेदनशील होने के चलते, जैसे ही तापमान बढ़ता है, उसी के अनुपात में तितलियों के पंखों की लंबाई भी बढ़ती है। परंतु कई प्रजातियों में नजर आया कि जैसे ही तापमान बढ़ता है उनके

थोड़ा धुंआ दें। थोड़ा धुंआ मधुमक्खी गृह के द्वार से अंदर की तरफ भी दें। पैसा करने से मधुमक्खियों कम काटती हैं।

- निरीक्षण के दौरान ऊपरी ढक्कन व अंतरपट को बक्से के पीछे या साईड में खड़ा करके रखें। बक्से में यदि 10 चौखटे हैं तो एक चौखट को हाईव टूल की मदद से निकालकर बक्से के अगले हिस्से की तरफ बक्से के साथ खड़ा कर दें ताकि दूसरे चौखटों को दधर-उधर करने में आसानी रहे।

- निरीक्षण करते समय चौखटों को निकालने या रखने या खिसकाने में चौखटों को झटका नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा मधुमक्खियों अशांत हो सकती है।

- निरीक्षण को बक्से की एक तरफ खड़ा होना चाहिए ताकि मधुमक्खियों को आने जाने में बाधा न जाए।

- जितना जल्दी हो सके रानी वाले चौखट को शिशु कक्ष में रख देना चाहिए।

- बक्से में चौखट वापिस रखते समय यह ध्यान रखें कि दो खौखटों के बीच खाली जगह न रहे तथा वे सटकर लगे नहीं तो अन्यथा मधुमक्खियों बीच वाली खाली जगह में छता बना लेती है, जिसका परिवार के लिए उपयोग नहीं होता।

मौनवंशों का निरीक्षण : क्यों और कैसे?

देवें। क्या परिवार में रानी कोष्ठ बन रहे हैं? अगर रानी बूढ़ी है और बदलनी है तो नई रानी पैदा होने देवें।

- क्या बक्से में कोई गंदगी हो रही है? यदि गंदगी है तो तलपटे की सफाई जरूर करें। क्या परिवार में कोई बीमारी, अष्टपदी या मोमी पतंग आदि का प्रकोप है या नहीं। यदि है तो उसके नियंत्रण के लिए उचित प्रबंध करना चाहिए।

- क्या चौखटों में तैयार शहद निष्कासन के लिए उपयोग करते हैं या नहीं? अगर पेटिका के सभी फ्रेम भर चुके हैं, रानी अंडे भी भरपूर दें रही हैं और पर्याप्त मात्रा में मौनचर उपलब्ध है तो इसका अर्थ है कि ऊपर सुपर बक्सा चढ़ाए या फिर कालोनी का विभाजन करें।

- क्या परिवार के छत्ते में पर्याप्त भोजन (मकरंद तथा पराग) उपलब्ध है या नहीं? यदि नहीं है तो परिवार को कृत्रिम भोजन या चीनी की चाशनी देने की आवश्यकता है। क्या मधु स्त्राव का अधिक लाभ लेने के लिए मधुमक्खी परिवार शक्तिशाली है या नहीं? इसके लिए फ्रेमों की संख्या भी कम है तो दो

पोदीना उत्पादन की नवीन तकनीक

जलवायु : पोदीना को उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, जहां पर अपेक्षाकृत हल्के, जाड़े एवं ग्रीष्म ऋतु गर्म हो सुगमता से उगाया जा सकता है। सर्दी में जहां पाला पड़ता हो, वहां इसे नहीं उगाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे वातावरण में पोदीने की पत्तियों में तेल एवं उपज कम प्राप्त होती है।

मिट्टी : पोदीने को विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है, परन्तु इसकी भरपूर उपज लेने हेतु उचित जल निकास वाली रेतीली मिट्टी, जिसका पी.एच. मान 6-7 हो सर्वात्तम मानी गई है। साथ ही मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। लवणीय मिट्टियों में इसकी खेती नहीं करनी चाहिए।

खेत की तैयारी : पोदीना का अधिकतम उत्पादन लेने हेतु खेत की तैयारी का विशेष महत्व है। अतः प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाली हल से करें। इसके उपरांत 2-3 बार हैरो या हल चलाकर मिट्टी भरभूरी कर लेनी चाहिए और सिंचाई की सुविधा अनुसार 4 मीटर × 4 मीटर या इससे बड़ी क्यारियां बना लेनी चाहिए।

केवल उन्नत किस्में ही उगाएं : हिमालय, शिवालिक, सक्षम, आर. आर.एल.-11813, गोमती, संकर-77, कोसी, कुशल, डमरू

खाद एवं उर्वरक : पोदीना की भरपूर उपज लेने हेतु मृदा जांच अनिवार्य है। यदि किसी कारणवश मृदा जांच ना हो सके, तो क्षेत्र के कृषि विभाग द्वारा संस्तुत की गई खाद एवं उर्वरकों की मात्रा अवश्य डालें। वैसे कम उर्वर मिट्टी में हरी खाद उगाना लाभप्रद रहता है। खेत की तैयारी के समय 200-250 किवंटल गोरब की खाद प्रति हैक्टेयर की दर से डालनी चाहिए। औसत उर्वरा शक्ति वाली मिट्टियों 120-150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50-60 किलोग्राम फास्फोरस और 50-60 किलोग्राम पोटाश प्रति हैक्टेयर डालनी चाहिए। नाइट्रोजन का एक-तिहाई भाग, फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा रोपाई से पूर्व खेत में डालनी चाहिए। शेष नाइट्रोजन को 3 बार खड़ी फसल में उपरिवेशन (टॉप ड्रेसिंग) के रूप में डालनी चाहिए। पहली बार रोपाई के 1 माह बाद, दूसरी फिर 1 माह बाद और तीसरी बार कटाई के उपरांत डालनी चाहिए। यदि पत्तियां पीली दिखाई दें तो 0.25 प्रतिशत 'जिंक सल्फेट' का छिड़काव करना चाहिए। एक सप्ताह के उपरांत दूसरा छिड़काव करना चाहिए।

रोपाई : पोदीने की फसल का प्रसारण भूस्तारियों के टुकड़े रोप कर किया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में रोपाई का उचित समय जनवरी-फरवरी है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में इसे मार्च-अप्रैल में रोपा जाता है। रोपाई के लिए 3-4 पर्व संधियों वाले 5-6 सैटीमीटर लम्बे टुकड़े उपयुक्त रहते हैं। इन टुकड़ों

को खोदने के तुरन्त बाद रोप देना चाहिए। पोदीने की रोपाई 60 सैटीमीटर × 40 सैटीमीटर की दूरी पंक्तियों में की जाती है। हर पंक्ति में भूस्तारी के टुकड़ों को सिरे से सिरा मिलाकर 3-5 सैटीमीटर गहरा रोप देते हैं। उपरोक्त विधि से

समयवीर सिंह सिरोही,
गंगाशरण शैनी

200-250 किलोग्राम भूस्तारी प्रति हैक्टेयर की आवश्यकता होती है। रोपाई के तुरन्त बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। अनुकूल वातावरण में भूस्तारी 5-10 दिन में जमने लगते हैं और 15-25 दिन में पंक्तियां आनी शुरू हो जाती हैं।

सिंचाई एवं जल निकास : परीक्षणों से पता चला है कि सिंचाई का पोदीना की पैदावार एवं तेल की गुणवत्ता का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अतः फसल की सिंचाई उचित समय व उचित मात्रा में करनी चाहिए। पहली सिंचाई रोपाई के तुरन्त बाद करनी चाहिए, क्योंकि इसकी बढ़वार गर्मियों में होती है। किसी भी परिस्थिति में भूमि में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। इस दृष्टि से गर्मियों में 7-10 दिन और सर्दियों में 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। पानी की कमी से फसल की उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

जहां पानी पोदीना की फसल के लिए आवश्यक है, वहीं इसका अधिक समय तक भराव होना अत्यंत हानिकारक है। वर्षा ऋतु या किसी कारण से खेत में पानी इकट्ठा हो जाए, तो उसे निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए, अन्यथा फसल पीली पड़कर मर जाने की आशंका रहती है।

पौधे संरक्षण उपाय
खरपतवार नियंत्रण : पोदीना के खेत में शुरू के दिनों में नमी का स्तर अधिक रखा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप खरपतवार

कटाई के साथ खरपतवार मिल जाते हैं, जिसके कारण तेल में अवांछित दुर्गंध हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप तेल की गुणवत्ता घट जाने के कारण इसका बाजार भाव भी कम हो जाता है। अतः खरपतवारों की रोकथाम हेतु 15-20 दिन और 40-45 दिन के अंतराल पर खुर्पी द्वारा निराई-गुडाई करनी चाहिए।

पोदीना की फसल में उगाने वाले खरपतवारों की रोकथाम हेतु खरपतवाराना शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है, जिसका उल्लेख नीचे किया गया है :-

रासायनिक विधि से खरपतवारों के नियंत्रण हेतु ऑक्सीफ्लुओरफेन (गोल) शाकनाशी की 1.85 लीटर मात्रा को 60-65 किलोग्राम बालू रेत में मिलाकर प्रति हैक्टेयर की दर से बिखरे देना चाहिए अथवा 3 किलोग्राम पैडीमैथालीन को 300 लीटर पानी में घोलकर रोपाई के उपरांत एक हैक्टेयर में छिड़काव करके खेत को 40-50 दिन तक खरपतवार मुक्त रखा जा सकता है। यह छिड़काव पौधों के उगाने से पूर्व ही करना चाहिए।

कीट नियंत्रण

सफेद मक्खी : ये छोटे कीट 1-2 सैटीमीटर लंबे दुधिया रंग के पंख वाली मक्खी होती है। यह पौधों की निचली पत्तियों पर नीचे की सतह पर रहती है व पौधों का रस चूसती है। यह कीट विभिन्न प्रकार के विषाणु एक पौधे से दूसरे पौधे में पहुंचाते हैं। कभी-कभी इस कीट का अधिक प्रकोप होने के कारण उससे निकले मीठे पदार्थ पर सूटी मोल्ड नामक कवक विकसित हो जाता है, जिसके कारण पौधों में प्रकाश-संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है, जिसके कारण उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

नियंत्रण : फास्फोमिडान 200-400 मिलीलीटर या मैलाथियान

300-500 मिलीलीटर प्रति हैक्टेयर को 800-1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।

चेपा : यह कीट मार्च-अप्रैल में विशेष रूप से सक्रिय रहता है, जिसके निष्फ एवं प्रौढ़ दोनों समूह में पत्तियों व शाखाओं की निचली सतहों पर पाए जाते हैं, जो उनका रस चूसते हैं, प्रभावित पत्तियों के रूप से सक्रिय रहता है।

नियंत्रण : * 0.05 प्रतिशत डाइमेथोएट का पर्णीय छिड़काव करना चाहिए।

पोदीने का सेमीलूपर : इस कीट की सुंडी पोदीने की पत्ती को लपेटकर उसके हरे रंग को खा जाती है। इसकी प्रौढ़ अवस्था फसल की क्षति नहीं पहुंचाती है, परन्तु



सुंडी पत्तियों को काट कर खाती है और गोल या टेढ़ा छेद बनाती है। भोजन निर्माण की क्षमता कम हो जाती है।

नियंत्रण : * फास्फोमिडान 400 मिलीलीटर को 800-1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हैक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए।

* पोदीने की कटाई शीघ्र प्रारम्भ कर देनी चाहिए। ऐसा करने से भी इस कीट से फसल का बचाव हो जाता है।

रोग

जड़ एवं तना विगतन : यह रोग 'थिलेविया वैसिकोला' नामक फफूंदी के कारण होता है। इसके प्रकोप के कारण पोदीने की जड़ों के ऊपर काले बैगनी रंग की चित्तियां बननी शुरू हो जाती हैं। बाद में इनका रंग काला-भूरा हो जाता है और उनमें विगतन होने लगता है। धीरे-धीरे ये चित्तियां जड़ों से बढ़कर तने की तरफ अधिक होने लगती हैं, जिससे पौधा विकसित होने से पूर्व ही सूखने लगता है।

नियंत्रण : * इंडोथेन एम-45 तीन किलोग्राम को 800-1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हैक्टेयर की दर से रोपाई से पूर्व मिट्टी में मिला देना चाहिए या रोपाई के पूर्व 3 ग्राम उपरोक्त दवा/लीटर पानी में घोलकर जड़ों को आधे घंटे तक उपचारित करना चाहिए।

पत्ती धब्बा : यह रोग आल्ट्रेनेरिया टेनुइस, कोराइनीस्पोरा, कैसीकोल, करबुलेरियाल्यूनाटा नामक फफूंदियों के कारण होता है। यह रोग पोदीना की पत्तियों की ऊपरी सतह पर भूरे रंग के रूप में लगता है, जिनके चारों ओर पीले रंग का घेरा बन जाता है। इन धब्बों के कारण पत्तियों के अंदर भोजन बनाने की क्षमता कम हो जाती है और पत्तियां पीली पड़कर गिर जाती हैं।

नियंत्रण : * डाईफोल्टान या इंडोथेन एम-45 या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 0.2-0.3 प्रतिशत घोल पानी में मिलाकर 15 दिन के अंतराल में 2-3 बार छिड़काव करना चाहिए।

पर्ण अंगमारी : यह रोग राइजोक्टोनिया सोलेनाई नामक फफूंदी के कारण जुलाई-अगस्त में लगता है। इस रोग का प्रथम लक्षण पत्तियों का झुलसाना है और अंत में पौधा सूख जाता है।

नियंत्रण : * पोदीना की जड़ों की रोपाई से पूर्व खेत में हरी खाद उगाएं। * पंक्तियों की आपसी दूरी कम से कम 80 सैटीमीटर रखें। * केन्टाफ का 0.1 प्रतिशत के घोल का छिड़काव करने से यह रोग ठीक हो जाता है।

क्रमशः



अधिक संख्या में उगते हैं। पोदीना की फसल के साथ रोपाई से लेकर 40-45 दिन तक खरपतवारों का प्रकोप अपेक्षाकृत अधिक रहता है, अतः किसान भाईयों को इस अवधि में खरपतवारों का नियंत्रण समय पर करना चाहिए। यदि खरपतवारों की रोकथाम समय पर ना की गई, तो उपज में 35-40 प्रतिशत तक की कमी आ जाती है, क्योंकि

चना रबी ऋतु की सबसे महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। भारत में विश्व के कुल चना उत्पादन का 70 प्रतिशत उत्पादन होता है। चने में 21



प्रतिशत प्रोटीन, 61.5 प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट तथा 4.5 प्रतिशत वसा होती है व इसमें कैल्शियम, आयरन व नियासीन की अच्छी मात्रा होती है। चने का उपयोग इसके दाने से बनाई गई दाल के रूप में खाने के लिए किया जाता है। इसके दानों को पीसकर बेसन बनाया जाता है, हरी अवस्था में चने के पौधों का उपयोग सब्ज़ी के रूप में किया जाता है। चना दलहनी फसल होने के कारण वातावरण से नाइट्रोजन एकत्र करता है। चने का उत्पादन कुल दलहन फसलों के उत्पादन का लगभग 45 प्रतिशत है। देश में मध्य प्रदेश में चने का सबसे अधिक उत्पादन होता है। इस फसल में अनेक हानिकारक कीटों एवं व्याधियों का प्रकोप होता है। हानिकारक कीटों में चना फली भेदक, माहू, कटुआ सुंडी प्रमुख हैं। चने की फसल में कीटों का उचित समय पर प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है।

चना के प्रमुख कीट

माहू :

वैज्ञानिक नाम : एफिस क्रासीवोरा

पहचान : माहू आकार में छोटे लगभग 2 मिलीमीटर लम्बे तथा गोलाकार होते हैं। इन कीटों के मुखांग चुभाने और चूसने वाले होते हैं। इन कीट के देह के आखिरी सिरे पर दो छोटी-छोटी नलिकाएं होती हैं।

जीवन चक्र : यह कीट नवम्बर या दिसम्बर के प्रारंभ में दिखाई देता है। सर्वप्रथम इस कीट की छोटी कालोनियां होती हैं, जिनमें अधिकतर मादाएं होती हैं। यह मादा सीधे अर्भक (निम्फ) को जन्म देती है। ये जल्दी ही प्रौढ़ हो जाते हैं और इस प्रकार इनकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है। अर्भक बड़े होकर पंखदार हो जाते हैं और उड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं।

नियंत्रण के उपाय : पौधों में तने व अन्य भाग जहां भी माहू की कालोनी दिखाई दे, उसे तोड़ कर नष्ट कर दें। इसके परजीवी कीट का क्रसीनेला सेटमर्पक्टेटा क्राइसोपा जाति तथा सिरफिड मक्खी के मैगट हैं, जो माहू की संख्या को कम

करते हैं। कीट का अधिक प्रकोप होने पर किसी एक कीटनाशक का छिड़काव करें। मैलाथियान

50 ई.सी. 2 लीटर प्रति हैक्टेयर का छिड़काव मिथाइल-ओ-डिमेटान 25 ई.सी. 1.5 लीटर प्रति हैक्टेयर।



कटुआ सुंडी :

वैज्ञानिक नाम : एग्रोटिस इप्सिलोन

पहचान : यह चने का एक प्रमुख कीट है। प्रौढ़ शलभ धूसर भरे रंग का होता है, जिसका आकार 4-6 सेटीमीटर पंख विस्तार सहित होता है। अगले पंखों पर विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं। पंख के आधार पर दो काली अतंस्थ धारियां एग्रोटिस इप्सिलोन में होती हैं। जो माहू की संख्या को कम

चना के कीटों का एकीकृत प्रबंधन

सौरभ माहेश्वरी, स्नातकोत्तर शोध छात्र और मनीष जिंदल, परियोजना सहायक, कीट विज्ञान विभाग, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर (उत्तराखण्ड)

चिन्ह एवं धूपंदार धब्बे होते हैं। निकटस्थ क्षेत्रों का 2/3 भाग फीके रंग का होता है। इसका पतंगा बहुत अधिक तेज़ 'उड़ने वाला' कहा जाता है।

जीवन-चक्र : इस कीट की मादा अण्डे एक करके या कहीं-कहीं पर गुच्छे में पत्तियों के ऊपर या तने में देती है। इसकी मादा अंडे देने के लिए नम स्थान अधिक पसंद करती है। मादा पतंगा रात्रि में अंडे देती है। अंडे सफेद होते हैं। अंडे 30-50 तक गुच्छे में दिए जाते हैं, प्रत्येक मादा लगभग 200-300 तक अंडे देती है। अंडे ग्रीष्म ऋतु में 8-12 दिन में फूटते हैं। तुरन्त निकली सुंडी पहले भूमि पर गिरी या छूती पत्ती खाती है। यह 3-5 सप्ताह में पूर्ण विकसित होती है। पूर्ण विकसित सुंडी लगभग 4.75 सैटीमीटर लम्बी, मट्टमेले काले रंग की होती है। पूर्ण जीवन-चक्र होने में 48 से 77 दिन लगते हैं। लगभग वर्ष भर में इसकी तीन पीढ़ियां पाई जाती हैं।

नियंत्रण के उपाय : छोटे खेतों में प्रकोप होने पर सुंडियों को हाथ से पकड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। अधिक मात्रा में सिंचाई करने से भी सुंडियां मर जाती हैं। खेतों में प्रकाश प्रपञ्च लगा कर भी शलभों को आकर्षित करने नष्ट किया जा सकता है। इस कीट का नियंत्रण इसके परजीवी कीटों जैसे बर्र, ऐपेन्टेलोन एवं माइक्रोकान की जातियों द्वारा हो जाता है। कटुआ कीट की रोकथाम के लिए फेनवैलरेट अथवा मिथाइल धूल 20-25 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर की दर से भूमि में मिला दें।

चने का फलीबेधक

वैज्ञानिक नाम : हेलिकोवर्फ आमिरेंगा।

पहचान : यह चने का प्रमुख

धब्बा पाया जाता है।

जीवन-चक्र : मादा शलभ अधिकतर संध्या समय निकलते हैं और केवल एक बार संगम कर संध्या में देर से अंडे देती है। मादा अंडे रात्रि में एक-एक करके देती है। मादा लगभग 500 तक

पकड़ कर हाथ से नष्ट कर देना चाहिए। चने की फसल के कटते ही खेती की अच्छी तरह जुताई कर देना चाहिए, ताकि उसमें प्यूपा ग्रीष्म ऋतु में मर जाए। इस कीट का नियंत्रण निम्नलिखित पर जीवी



अंडे पत्तियों, फूलों या फली में देती है। अंडे गोलाकार, चमकदार तथा हरे पीले रंग के होते हैं, जो फूटने से पहले गहरे रंग के हो जाते हैं। उस पर लंबी धारियां होती हैं। अंडे 4-5 दिन में परिपक्व होकर फूटते हैं और उनसे छोटी सुंडी निकलती है, जो 1.3 से 1.6 मिलीमीटर होती है। लगभग दो से तीन सप्ताह बाद 5 बार निर्मेचन करके पूर्ण हो जाती है। प्यूपा लगभग 16 मिलीमीटर लम्बा तथा 6 मिलीमीटर मोटा होता है। इस प्रकार इस कीट की चने पर 3 पीढ़ियां पाई जाती हैं। वर्ष भर में इसकी 3 से 7 पीढ़ियां पाई जाती हैं।

नियंत्रण के उपाय : खेतों का साप्ताहिक भ्रमण एवं पैराथियान धूल 20-25 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर, नोवलतुरान 10 ई.सी. के 750 मिलीलीटर या क्लोरान्ट्रानिलिप्रोल 18.5 ई.स.एल. के 125 मिलीलीटर या इमामेक्टिन बेन्जोएट 5 ई.स.जी. का 220 ग्राम 500-600 लीटर पानी का घोल कर प्रति हैक्टेयर छिड़काव करें।

चने की खेती में उन्नत कीट प्रबंधन विधियों द्वारा इसकी औसत उपज में दोगुनी से अधिक व अधिक उपज प्रति हैक्टेयर प्राप्त की जा सकती है।

बिना अवशेष जलाए कर रहे खेती, 14 एकड़ से हर साल 6 लाख का मुनाफा

पर्यावरण संरक्षण के प्रति किसान अवतार सिंह पराली न जलाने को कर रहे प्रेरित

खेतों में लगाई जा रही आग से देश की आबोहवा जहरीली हो रही है, जिससे पर्यावरण के साथ परिवार के सदस्य भी सांस की बीमारी से लेकर फेफड़ों के कैसर का शिकार हो रहे हैं। वहीं, भूजल स्तर गिरने के साथ उर्वरक क्षमता भी क्षीण हो रही है। प्रदेश सरकार पराली को न जलाने के लिए लगातार प्रेरित कर रही है। इतना ही नहीं, पराली का प्रबंधन करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दे रही है। ऐसे में जागरूक हुए जालंधर के गांव नारंगपुर के किसान अवतार सिंह पिछले 6 साल से गेहूं के खेतों में बचे अवशेषों की आग नहीं लगा रहे हैं। पराली को भी पिछले दो साल से आग नहीं लगाने का प्रण लिया है। वह बचे अवशेषों को खेत में फैला कर बुवाई करते हैं। वह अन्य किसानों से भी अपील कर रहे हैं कि खेतों में मैं आग ना लगाएं।

अवतार सिंह ने 14 एकड़ खेत ठेके पर ले रखा है। एक खेत का ठेका 32000 रुपए, खाद और डीजल का खर्च निकाल कर उनके पास 6 लाख की प्रति वर्ष कमाई होती है। उनका बेटा भी उनके साथ ही खेतीबाड़ी में हाथ बंटाता है। अगर यदि किसान सीधी बुवाई करेंगे, तो झाड़ के साथ मुनाफा भी अच्छा होगा। अवतार सिंह ने बताया कि खेतीबाड़ी विभाग पराली के अवशेष जलाने और पानी की कम खपत के लिए जागरूक तो कर रहा है, लेकिन किसानों की आर्थिक तौर पर मदद नहीं की जा रही है।



एम.एस.पी. की कानूनी गारंटी

खाद्य सुरक्षा और किसान की जीवन रेखा

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम. एस.पी.) कृषि नीति केन्द्र सरकार द्वारा अनुशंसित की जाती है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि उपज के लिए न्यूनतम लाभकारी मूल्य दिलाना, बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। एम.एस.पी. की शुरुआत 1966-67 में की गई थी, जब भारत में खाद्य पदार्थों की भारी कमी थी। तब सरकार ने घरेलू खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए महंगी सघन 'हरित क्रांति प्रौद्योगिकी' रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के साथ गेहूं और चावल की उन्नत बौनी किसिमों के बीज, बेहतर सिंचाई प्रणाली, मशीनीकरण को प्रोत्साहन दिया, जिससे बढ़ी कृषि लागत की भरपाई के लिए, सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम. एस.पी.) की वित्तीय सहायता की गारंटी दी। जिसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई और भारत की खाद्य सुरक्षा और खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता सुरक्षित हई।


एम.एस.पी. के समुचित कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप ही पंजाब और हरियाणा जैसे अर्ध-शुष्क क्षेत्र राज्यों में भूजल सिंचाई के सहारे सघन कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाया गया, जिससे मुख्य अनाज फसलों (गेहूं व चावल) की उच्च उत्पादकता 5 मीट्रिक टन प्रति हैक्टेयर से अधिक दर्ज की गई, जो इन दोनों फसलों की वार्षिक उत्पादकता 10-12 मीट्रिक टन प्रति हैक्टेयर बनती है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुनी है और विश्व स्तर पर भी उच्चतम श्रेणी में आती है। पिछले दशक के दौरान एम.एस.पी. व्यवस्थाओं को प्रभावशाली ढंग से अपनाकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने भी इसी तरह की उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। इस प्रकार, एम.एस.पी. नीति ने कृषि में बेहतर तकनीक को अपनाने को सुनिश्चित किया, जिससे देश में वर्ष 1960 की तुलना में अब गेहूं का उत्पादन 10 गुना और चावल का 4 गुना बढ़ गया। इसी दौरान उच्च उत्पादकता सघन कृषि प्रौद्योगिकी उपलब्ध होने के बावजूद, तिलहन, दलहन और मोटे अनाज फसलों के क्षेत्र और उत्पादन में कमी आई क्योंकि इन फसलें की खेती प्रभावशाली एम.एस.पी. व्यवस्था के अभाव में किसानों के लिए अलाभकारी साबित हुई।

खाद्य सुरक्षा आत्मनिर्भरता भारत के स्थाईत्व और सम्मान का विषय है। एम.एस.पी. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ, खुले बाजार की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप तंत्र भी साबित हुआ है। आयात द्वारा खाद्य सुरक्षा करत, बहरीन आदि जैसे कम आबादी और मजबूत औद्योगिक - अर्थिक आधार वाले देशों के लिए एक व्यवहार्य मॉडल हो सकता है। वर्ना ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका प्रतिस्पर्धी कीमतों पर दुनिया के बाकी देशों के लिए गहूं का उपादान और नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन तब कृषि गतिविधियों में संलग्न भारतीयों सहित दुनिया की आधी आबादी बेरोजगार हो जाएगी। शुल्क मुक्त आयात के सहारे सस्ते पाम तेल के भारी मात्रा में आयात की पक्षपातपूर्ण सरकारी नीति ने भारत में तिलहन किसानों और खाद्य तेलों के उद्योगों के हितों के लिए हानिकारक साबित हुई। इस प्रकार, कृषि को बहुराष्ट्रीय कंपनियों और साधन संपन्न देशों के विश्व-मुक्त व्यापार शासन का विषय नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कृषि सभी मानव संस्कृतियां की जननी है, जो सभी सभी देशों के मूल समाज और निवासीयों की पहली सामाजिक और व्यावसायिक गतिविधि है जो उनके अस्तित्व और रोजगार के लिए बहुत आवश्यक है।

स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग ने वर्ष-2006 में एम.एस.पी. के सुधार व बेहतर गणना के लिए की गई सिफारिश ‘एम.एस.पी. कुल औसत लागत (सी-2 लागत) से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए’ को लागू नहीं करके सरकार खुद किसानों का शोषण कर रही है क्योंकि सरकार किसान से कुल लागत से कम पर अनाज खरीद रही है। फिर एम.एस.पी. गारंटी कानून नहीं बना कर सरकार ने बिचौलियों को भी किसानों का शोषण करने की खुली छूट दे रखी है। जो किसानों के कृषि उत्पादन को घोषित एम.एस.पी. से कम दामों पर खरीदते हैं। एम.एस.पी. कानूनी गारंटी के अभाव में, देश में उत्पादित कृषि फसलें 90 प्रतिशत से अधिक उत्पादन को, बिचौलिये एम.एस.पी. मूल्यों से 20-50 प्रतिशत कम कीमतों पर खरीदते हैं, जिससे किसानों को प्रति एकड़ औसतन 20-30 हजार रुपये और देश के किसानों को लगभग 15-20 लाख करोड़ रुपये वार्षिक का नुकसान होता है।

बिचौलियों द्वारा एम.एस.पी. से कम पर कृषि उत्पादन खरीदने का उपभोगता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। क्योंकि उपभोगता के लिए, खुदरा खुले बाजार में कृषि उत्पादकों के दाम, हमेशा एम.एस.पी. दाम से 50 प्रतिशत ज्यादा ही रहते हैं, यानि एम.एस.पी. गारंटी कानून नहीं बनाने की पक्षपाती सरकारी नीतियों के कारण, भारतीय कृषि उत्पादन बाजार का सारा लाभ बिचौलिय खाये जा रहे हैं।

आई.सी.आर.आई.ई.आर.-ओ.



डॉ. वीरेन्द्र सिंह लाठर,
पूर्व प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय
कृषि अनुसंधान संस्थान, नई
दिल्ली (मो. 94168-01607)

ई.सी.डी. अध्ययन में बताया गया है कि “खेती की कीमतों को कृत्रिम रूप से कम रखने की पक्षपाती सरकारी नीतियों के कारण भारतीय किसान वर्ष 2000 के बाद से लगातार घाटा उठा रहे हैं, जिसने किसानों को लगातार गरीबी रेखा से नीचे रखा हुआ है।” इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि पक्षपातपूर्ण सरकारी नीतियों के कारण कम कृषि कीमतों के कारण भारतीय किसानों को अकेले वर्ष-2022 में 14 लाख करोड़ रुपये (169 बिलियन अमेरिकी डॉलर) और 2000-2017 के दौरान 2017 की कीमतों पर 45 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इन पक्षपाती सरकारी नीति आधारित शोषण के कारण ही किसान आत्महत्याएं करने को मजबूर हैं।

का भज्यबूरं ह।
एम.एस.पी. पर केवल सार्वजनिक खरीद की बजाय, इस बारे व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि एम.एस.पी. मूल रूप से भारत की खाद्य सुरक्षा और किसानों की जीवन रेखा सुनिश्चित करने के लिए एक मूल्य गारंटी तंत्र है, जिसे सरकार और बाजार दोनों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। एम.एस.पी. को कानूनी गारंटी बनाने के लिए, ए.पी.एम. सी. अधिनियम में आवश्यक संशोधन

द्वारा एक खंड को शामिल करने की आवश्यकता है कि ए.पी.एम. सी. मंडियों में कृषि उपज की नीलामी घोषित एम.एस.पी. कीमतों से कम पर करने का नूनी अनुमति नहीं है।

एम.एस.पी. कानूनी गारंटी
लागू करने व संचालन पर अनेक
आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं
कि

- कृषि उपज की अधिकांश बिक्री ए.पी.एम.सी. मंडियों में नहीं होती है।
- व्यापारी कृषि उपज की

खराद का बाह्यकार कर सकत ह।
3. सरकार के पास खरीदे

गए कृष्ण उपज का खरादन, भड़ारण करने, विपणन करने के लिए भौतिक और आर्थिक संसाधन नहीं हैं आदि। प्रशासनिक और व्यापारिक समुदायों के निहित स्वार्थी पैरवीकारों द्वारा प्रचारित यह सभी आशंकाएं तरक्कीन हैं। क्योंकि भारत में घरेलू मांग के मुकाबले गेहूं और चावल के उत्पादन में मामूली अधिशेष है, जबकि तिलहन, दालों और अन्य फसलों के उत्पादन में अभी बहुत कमी है। देश में 2022 में गेहूं की घरेलू खपत मांग लगभग 103 मिलियन मीट्रिक टन और चावल की 109 मिलियन मीट्रिक टन थी। फरवरी 2022 के दौरान तापमान में अचानक हुई वृद्धि के कारण गेहूं उत्पादन में गिरावट के प्रभाव से भारत सरकार को मई 2022 में गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए

मजबूर होना पड़ा। मानसून की अनिश्चितता के कारण खरीफ सीजन 2023 के दौरान धान के रोपण क्षेत्र में कमी के महंगजर स्थानीय आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास में, चावल के निर्यात पर भी रोक लगा दी गई। इसलिए व्यापारियों द्वारा एम.एस.पी. कानूनी व्यवस्थाओं में कृषि उपज का संभावित बहिष्कार एक तर्कहीन तर्क है क्योंकि कृषि उपज की मांग के मुकाबले खाद्य पदार्थों की आपूर्ति कम है और आयात सरकारी नीति पर निर्भर करेगा। अगर व्यापारी सरकारी नीति के विरोध में कृषि उपज की खरीद का बहिष्कार करेंगे, सरकार उनको आयात की अनुमति कर्यों देगी। जो इन तथ्यों से भी साबित होता है कि वर्ष 2023 के लिए निर्धारित 44.4 मिलियन मीट्रिक टन के लक्ष्य के विरुद्ध सरकार केवल 26 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं ही खरीद पाई है और सरकार ने घेरलू बाजार में दाम नियंत्रित करने के लिए गेहूं निर्यात, भण्डारण लिमिट जैसी अनेक पार्बंदियां व्यापारिक समुदायों पर लगाई।

भारत जैसे देश में जो पांच
ट्रिलियन डालर यानि 415 लाख
करोड़ रुपये वार्षिक की अर्थव्यवस्था
के दावे और उद्योगपतियों के 20-25
लाख करोड़ कर्ज माफी सरकार
कर रही हो, किसानों को बिचौलियों
के शोषण से बचाने और खाद्य
सुरक्षा के लिए एम.एस.पी. गारंटी
कानून बनाने से देश की अर्थव्यवस्था
के चरमराने के बचकने दावे निहित
स्वार्थी पैरवीकार ही कर सकते
हैं। सरकार द्वारा दी गई जानकारी
के अनुसार, 60 मिलियन मीट्रिक
टन से अधिक धान (राष्ट्रीय विपणन
योग्य अधिशेष का 65 प्रतिशत)
और 26 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं
की खरीद के लिए किसानों को
2.26 करोड़ रुपये से अधिक
हस्तांतरित किए गए। इसके अलावा,
भास्तु 2022-23 में 1.38 लापत्त

भारत 2022-23 में 1.38 लाख करोड़ रुपये का खाद्य तेल और 20 हजार करोड़ रुपये की दालों का आयात करता है, यानि भारत पहले से ही कृषि उत्पन्न की सरकारी खरीद और आयात आदि पर 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर रहा है। इसलिए, यह दावा कि एम.एस.पी. कानूनी गारंटी भारत के लिए वित्तीय आपदाओं का कारण बनेगी, बिलकुल तर्कहीन है क्योंकि 23 फसलों के कुल उत्पादन का एम.एस.पी. मूल्य सरकारी अनुमान के अनुसार लगभग 17 लाख करोड़ रुपये और एस.के.एम. (संयुक्त किसान मोर्चा) के अनुसार केवल 10 लाख करोड़ रुपये बनता है। जबकि केवल 70 प्रतिशत कृषि उत्पन्न विपणन योग्य अधिशेष के रूप में बाजारों में बिकने आती है, और बाकी किसान परिवारों द्वारा घरेलू उद्देश्यों के लिए उपभोग किया जाता है। इसलिए यदि कभी व्यापारी वर्ग एपीएमसी के बाजारों का पूरी तरह से बहिष्कार भी कर दे, तो क्रिसिल (CRISIL) के अनुसंधान निर्देशक के अनुसार सरकार केवल वह कृषि उत्पादन खरीदेगी जिसके दाम बाजार में एम.एस.पी. से कम पर होंगे उसके लिए सरकार को केवल 6 लाख करोड़ केन्द्रीय निधि की आवश्यकता पड़ेगी। जिसे सरकार उसी वर्ष खरीदे हुए कृषि उत्पादन को खुले बाजार में बेचकर या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करके वापस प्राप्त कर सकती है।

एम.एस.पी. की कानूनी गारंटी
देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित
करने के साथ और बाजारी मुद्रास्फीति
को भी नियंत्रित करेगी, जिससे
किसानों को बिचौलियों से शोषण
से बचाया जा सकेगा, जिससे उन्हें
बेहतर कृषि उत्पादन प्रौद्योगिकियों
को अपनाने के लिए प्रोत्साहन
मिलेगा। इसके अलावा, यह
उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के
लिए हस्तक्षेप तंत्र के साथ बाजार
मुद्रास्फीति के भ्रष्ट हरफेर को
नियंत्रित करेगा, जैसा कि पिछले
कुछ वर्षों के दौरान सरकार द्वारा
खरीदी गई कृषि उपज को खुले
बाजारों में बेचकर नियमित रूप से
किया जा रहा है। एम.एस.पी. कानूनी
गारंटी तिलहन और दालों सहित
सभी कृषि वस्तुओं में आत्मनिर्भरता
के माध्यम से भारत की सदाबहार
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगी जो
ज्यादा पानी और संसाधनों की ज्यादा
खपत वाले अनाज फसलों के उत्पादन
की तुलना में किसानों के लिए
अधिक लाभदायक होगी। □